दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 19-08-2025

हाई कोर्ट : दैनिक भास्कर की फोटो स्टोरी पर लिया संज्ञान, किया तलब

शहर के बीच नशे का अड्डा, कोर्ट ने कलेक्टर व एसएसपी से मांगा जवाब

भास्कर इम्पैक्ट

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने शहर के बीच जूनी लाइन में नशेड़ियों के जमघट को लेकर दैनिक भास्कर में प्रकाशित फोटो स्टोरी पर संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर के कलेक्टर और एसएसपी से शपथ पत्र मांगा है। 28 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

शहर के बीच नशेड़ियों का दवाखाना, सीरींज से ले रहे नशीली दवाएं

17 अगस्त को भास्कर में प्रकाशित खबर।

दैनिक भास्कर ने 17 अगस्त को शहर के बीच नशेड़ियों का दवाखाना, सीरींज से ले रहे नशीली दवाएं... हेडिंग से फोटो स्टोरी प्रकाशित की थी। दरअसल, शहर के बीचों-बीच स्थित जूनी लाइन इलाका में अब नशेड़ियों का जमघट लगा रहता है। यहां खुलेआम नशेड़ी झाड़ियों के किनारे बैठकर सीरींज से नशा ले रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अवैध गतिविधि पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। सरकारी नियमों की अनदेखी कर नशीली दवाओं के इंजेक्शन की सप्लाई की जा रही है। इस स्थिति से इलाके में दहशत और असुरक्षा का माहौल है। हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर और एसएसपी से पूरे मामले में व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है।

चांटीडीह मामले में अफसर देंगे जवाब

प्रशासन तय करे, सार्वजनिक स्थानों पर न हो शराबखोरी

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

बिलासपुर के चांटीडीह इलाके में शराब की दो दुकानों के सामने लोग खुले में बैठकर शराब पी रहे हैं। इसे लेकर दैनिक भास्कर में छपी खबर पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आबकारी विभाग के जिम्मेदार अफसर को शपथ पत्र देने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

दैनिक भास्कर ने 17 अगस्त को चांटीडीह शराब की दो दुकानों के सामने वाली गली खुली बार बन गई.. शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। दरअसल, शराब दुकानों से जुड़ा अहाता तोड़े जाने के बाद लोग खुले में बैठकर शराब पी रहे हैं। इससे न सिर्फ गली बार में तब्दील हो गई है बल्कि रोजाना जाम और अव्यवस्था भी बढ़ रही है। पहले दुकान के पास अहाता था, लेकिन सड़क चौड़ीकरण और स्थानीय विरोध के चलते उसे तोड़ दिया गया। अहाता टूटने के बाद अब लोग खुले क्षेत्र में शराब पी रहे हैं, जिससे निवासियों को दिक्कत हो रही है। सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने इस पर संज्ञान लिया। कहा कि यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि शहर या मोहल्ले के बीच स्थित शराब दुकानों से खरीदी गई शराब सार्वजनिक जगह पर न पी जाए। हाई कोर्ट ने सहायक आबकारी आयुक्त, बिलासपुर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन रोकने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे।